

अवलोकन किया गया। रमण भरतपुर के उपाय
उक्त न्यायालय के निर्णय एवं डिप्टी डिप्टी
18/8/2015 के अन्तर्गत किया गया है। डिप्टी
डिप्टी के निर्णय एवं डिप्टी डिप्टी 18/8/2015
का कोई प्रभाव वही नहीं रहता एवं उक्त निर्णय
की पालना के वापस रिकार्ड के अन्तर्गत
के अन्तर्गत अन्तर्गत कर पूर्व की स्थिति बहाल
किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः जो पत्र प्रार्थना एवं स्वीकार किया जाता
है एवं सहायक उपाय के निर्णय एवं
डिप्टी डिप्टी 18/8/2015 की पालना के अन्तर्गत
इन्डिया को अन्तर्गत कर वापस रिकार्ड के
18/8/2015 के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे
पत्रावली के अन्तर्गत ही नम्बर से कर होकर
उचित उपाय है।

निर्णय सिखाया जाकर उपाय डिप्टी डिप्टी 18/8/2015
के अन्तर्गत न्यायालय के अन्तर्गत किया गया।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)